1174

म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
"चयन भवन" मेन रोड़ नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क्रमांक/व्यापम/5–प–1/ 28/1314/2015 भोपाल, दिनांक :२०फरवरी 2015

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर व्यापम द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा वर्ष–2012 का आयोजन दिनांक 11.03.2012 को किया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम व्यापम द्वारा दिनांक 17.03.2012 को घोषित किया गया था। कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक–समनि/एसटीएफ/मुख्यालय/2014 एचक्यू–242 दिनांक 11.03.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्री.पीजी परीक्षा 2012 के अंतर्गत अनुचित साधनों का उपयोग कर परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में 08 अभ्यर्थियों के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 14/13 पंजीबद्ध किया गया हैं।

2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक–समनि/एसटीएफ/मुख्यालय/2014 एचक्यू–278 दिनांक 22.03.2014 के माध्यम अवगत कराया गया कि प्री.पीजी परीक्षा 2012 के 08 अभ्यर्थियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभियोग पत्र में उल्लेखित साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर परीक्षण उपरांत व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के आदेश क्रमांक व्यापम/5–प–1/28/2031/2014 भोपाल दिनांक 29.03.2014 के द्वारा 08 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये थे।

3. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक – 6397/2014 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 के द्वारा व्यापम के उपरोक्त आदेश दिनांक 29.03.2014 को खारिज करते हुये व्यापम को पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिपालन में प्रकरण का विस्तृत परीक्षण किये जाने के लिये संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख/रिपोर्ट शीघ्र प्रदान किये जाने के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ म.प्र. भोपाल को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक/व्यापम/5–प–1/53/2014 दिनांक 03.01.2015 तथा पत्र क्रमांक/व्यापम/5–प–1/288/2015 दिनांक 08.01.2015 प्रेषित किये गये थे।

4. व्यापम के पत्रों के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/समनि – 2/एसटीएफ/45/2015 भोपाल, दिनांक 09.01.2015 के द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 के विषय में अपराध क्रमांक – 14/13 धारा – 409, 420, 120 बी भा.दवि., 3(घ) – 1, 2/4 के अंतर्गत संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख/रिपोर्ट/चालानी प्रपत्र उपलब्ध कराये गये ।

5. एसटीएफ, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीन दस्तावेजों यथा आरोपी के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य, एफआईआर, मेमोरेंडम, गिरफ्तारी पत्रक, जप्ती पत्रक, व्यापम में उपलब्ध मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी, परिणाम, कट ऑफ अंकों की जानकारी के आधार पर परीक्षण हेतु व्यापम के पत्र क्रमांक व्यापम/5–प–1/28/268/2015 भोपाल दिनांक 08.01.2015 द्वारा नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक (कम्प्यूटर) तथा संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

6. प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में कुंजी समिति के द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के 14 प्रश्नों को परिवर्तित करते हुये अंतिम उत्तर कुंजी निर्मित की गई थी। एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि प्री.पी.जी परीक्षा 2012 की मॉडल उत्तर कुंजियों को इस परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को तत्कालीन् नियंत्रक पंकज त्रिवेदी एंव प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिन्द्रा द्वारा परीक्षा तिथि के पूर्व उपलब्ध करवाया गया था। जिसके आधार पर ही इन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दौरान इनके उत्तर अंकित किये गये थे।

7. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष 2008 से वर्ष 2012 की याचिका क्रमांक 1918/2014 एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2014 में मान्य प्रकिया [औसत + मानक विचलन (Standard Deviation) का तीन गुना] के आधार पर प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में भी परीक्षण का आधार रखा गया। इस परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत एवं मानक विचलन का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर सही पाये गये 14 परिवर्तित उत्तरों के प्राप्तांको का औसत = 3.53

(ख) मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर सही पाये गये 14 परिवर्तित उत्तरों के प्राप्तांकों का मानक विचलन (Standard Deviation) = 1.55

8. समिति द्वारा उपरोक्तानुसार मान्य प्रकिया के आधार पर अर्थात् 3.53 + 3 X 1.55 = 8.18 अनुसार ही मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये 14 परिवर्तित उत्तरों में से 08 या 08 से अधिक सही उत्तर अंकित करने वाले अभ्यर्थियों को संदिग्ध की सूची में रखा गया । प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित समस्त 3152 अभ्यर्थियों का परीक्षण करने पर ऐसे चिन्हित 22 अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना पत्र व्यापम के पत्र क्रमांक–व्यापम/5–प–1/28/605/2015 दिनांक 23.01.2015 द्वारा जारी किया गया।

9. समिति द्वारा माह फरवरी – 2015 में दिनांक 05, 07, 10 एवं 13 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी 22 अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया। समिति ने अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों एवं अधिभार की गणना का परीक्षण प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग के लिये 200 प्रश्नपत्रों को आधार मानते हुये की है। समिति द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेखित अभ्यर्थीवार तालिकाओं में मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर 186 प्रश्नों के लिये प्राप्तांकों की गणना, परीक्षा के कुलांकों में से अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर 14 परिवर्तित प्रश्नों के लिये प्राप्त होने वाले प्राप्तांको को घटाकर, प्रतिकात्मक रूप से प्रर्दशित करने हेतु की गई है। अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है–

(i) डॉ. अनुराग जैन, रोल नं. 102647 अनारक्षित/बिना वर्ग

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 30.11.2013 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 08 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 03 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है :–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**180**	**177**	**95.16**	**08**	**57.14**	**03**	**21.42**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तरकुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में कोई सकारात्मक एवं तथ्यामक उत्तर नहीं देते हुये दस्तावेजों की मांग की है। आवेदक के इस अनुरोध को समय–सीमा के प्रकाश में मान्य किया जाना संभव नहीं है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(1177)

(ii) **डॉ. राघवेन्द्र प्रताप ठाकुर, रोल नं. 101450, अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग**

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 02.12.2013 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा अपने श्री रामप्रकाश ठाकुर (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 11 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 01 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**175**	**174**	**93.54**	**11**	**78.57**	**01**	**07.14**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत द्वितीय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग /बिना वर्ग के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में कोई सकारात्मक एवं तथ्यामक उत्तर नहीं देते हुये दस्तावेजों की मांग की है। आवेदक के इस अनुरोध को समय–सीमा के प्रकाश में मान्य किया जाना संभव नहीं है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(iii) **डॉ. सन्नी जुनेजा, रोल नं. 101054, अनारक्षित/बिना वर्ग**

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 30.11.2013 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 09 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र शून्य अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**174**	**174**	**93.54**	**09**	**64.28**	**00**	**00.00**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में कोई सकारात्मक एवं तथ्यामक उत्तर नहीं देते हुये दस्तावेजों की मांग की है। आवेदक के इस अनुरोध को समय–सीमा के प्रकाश में मान्य किया जाना संभव नहीं है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(479)

(iv) **डॉ. आशीष आंनद गुप्ता, रोल नं. 100194, अनारक्षित/बिना वर्ग**

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कंमाक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 12.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा आर.के. शिवहरे (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 09 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 02 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**174**	**172**	**92.47**	**09**	**64.28**	**02**	**14.28**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत पॉचवा स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं हैं।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये ाने की अनुशंसा की गई है।

(v) **डॉ. समीर मण्डलोई, रोल नं. 100299, अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग**

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 30.11.2013 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 09 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 03 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**174**	**173**	**93.01**	**09**	**64.28**	**03**	**21.42**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत छटवां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग /बिना वर्ग के अंतर्गत द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं हैं।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

5

(vi) **डॉ. नेहा शिवहरे, रोल नं. 100238 अनारक्षित/बिना वर्ग**

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 12.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा आर.के. शिवहरे (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडलउत्तरों कुंजी के आधार पर 10 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र शून्य अंक प्राप्त हुये ।अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**173**	**173**	**93.01**	**10**	**71.42**	**00**	**00.00**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत सातवां स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं हैं।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(vii) डॉ. सोमेश माहेश्वरी, रोल नं. 100953 अनारक्षित/बिना वर्ग

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 02.12.2013 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 10 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 02 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**169**	**167**	**89.78**	**10**	**71.42**	**02**	**14.28**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत आठवां स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में कोई सकारात्मक एवं तथ्यामक उत्तर नहीं देते हुये दस्तावेजों की मांग की है। आवेदक के इस अनुरोध को समय–सीमा के प्रकाश में मान्य किया जाना संभव नहीं है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

5

(1183)

(viii) **डॉ. आयुष मेहता, रोल नं. 101509 अनारक्षित/बिना वर्ग**

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 10.04.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 08 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 01 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**154**	**153**	**82.25**	**08**	**57.14**	**01**	**07.14**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत उन्तालीसवां स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में कोई सकारात्मक एवं तथ्यामक उत्तर नहीं देते हुये दस्तावेजों की मांग की है। आवेदक के इस अनुरोध को समय–सीमा के प्रकाश में मान्य किया जाना संभव नहीं है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है। जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(ix) डॉ. अमित जैन, रोल नं. 101709 अनारक्षित/बिना वर्ग

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियोंकी सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 02.12.2013 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा स्वयं व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 08 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 03 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**175**	**172**	**92.47**	**08**	**57.14**	**03**	**21.42**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत तीसरा स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों के संबंध में कोई सकारात्मक एवं तथ्यामक उत्तर नहीं देते हुये दस्तावेजों की मांग की है। आवेदक के इस अनुरोध को समय–सीमा के प्रकाश में मान्य किया जाना संभव नहीं है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है। जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

I

(1185)

(x) डॉ. प्रखर सिघंल, रोल नं. 102527 अनारक्षित/बिना वर्ग

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कंमाक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 15.12.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा भरत मिश्रा तथा विपिन गोयल (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्री.पी.जी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 10 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन कये जाने पर मात्र 01 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**168**	**167**	**89.78**	**10**	**71.42**	**01**	**07.14**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत नौवां स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी की माताजी उमा सिंघल द्वारा अवगत कराया गया कि प्रखर सिंघल न्यायिक हिरासत में हैं। अतः जानकारी देने में वह असमर्थ है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का अन्य कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम क्रमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(xi) <u>डॉ. अविजीत सिंह खनूजा, रोल नं. 102629 अनारक्षित/बिना वर्ग</u>

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 07.11.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपी प्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 09 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 01 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**164**	**163**	**87.63**	**09**	**64.28**	**01**	**07.14**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्रीपीजी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्ग के अंतर्गत बारहवां स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है। जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3. 9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(1187)

(xii) डॉ. निष्ठा अग्रवाल, रोल नं. 101339 अनारक्षित/बिना वर्ग

(a) इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 14/13 दिनांक 20.11.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 15.12.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा नर्मदाप्रसाद अग्रवाल (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) व्यापम के अधिकारियों से सेंटिग कर परीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि में "मॉडल उत्तर कुंजी" की फोटोकॉपीप्राप्त कर उसकी सहायता से तैयारी करके प्रीपीजी परीक्षा में उच्च मेरिट से सफल हुये हैं।

(b) अभ्यर्थी द्वारा प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में सम्मिलित होकर 14 परिवर्तित उत्तरों में से मॉडल उत्तरों कुंजी के आधार पर 11 अंक प्राप्त हुये तथा इन्हीं उत्तरों का अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर मात्र 01 अंक प्राप्त हुये । अभ्यर्थी के विश्लेषणात्मक अंको का विवरण निम्नानुसार है–

कुलांक	प्राप्तांक	186 अपरिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के		14 परिवर्तित उत्तरों के	
		मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल/अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्तांक	अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्ताकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
200	**165**	**164**	**88.17**	**11**	**78.57**	**01**	**07.14**

(c) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी का उपयोग करते हुये ही परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किये थे। इसके कारण ही आवेदक को अत्याधिक अंक प्राप्त हुये और अभ्यर्थी ने प्री.पी.जी परीक्षा 2012 में अनारक्षित/ बिना वर्गके अंतर्गत ग्यारहवां स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(d) उपरोक्त साक्ष्यों एवं मॉडल उत्तर कुंजियों को परीक्षा पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध होने संबंधी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है। उसका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है। जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय –3 के नियम कमांक – 3.9 के तहत यह समिति यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य कर अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखित **समस्त 12 प्रकरणों** की व्यापम स्तर से जांच की गई। समिति द्वारा संपादित जांच में निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुये :–

(क) एसटीएफ की विवेचना में स्पष्ट हुआ है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की दोनों मॉडल उत्तर कुंजियां, परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व प्राप्त हुई थी।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व प्राप्त मॉडल उत्तर कुंजियों के आधार पर ओएमआर उत्तरशीट में उत्तर अंकित किये जाने पर उन्हें 08 से 11 अंक प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) व्यापम की कुंजी समिति द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के 14 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित करते हुये अंतिम उत्तर कुंजी निर्मित किये जाने पर सभी अभ्यर्थियों को इन 14 प्रश्नों के 00 से 03 अंक प्राप्त हुये हैं।

(घ) अभ्यर्थियों को 14 परिवर्तित उत्तरों में, मॉडल उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर प्राप्त होने वाले अंकों के **प्रतिशत में अत्याधिक** अंतर दृष्टिगोचर होना इस पुष्टि के लिये पर्याप्त आधार है कि, अभ्यर्थियों को दोनों मॉडल उत्तर कुंजियां, परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व प्राप्त हो गई थी।

(च) अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

(छ) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में उत्तर कुंजियों के संधारण का दायित्व डॉ. पंकज त्रिवेदी तत्कालीन नियंत्रक के पास था, जिन्होंने नितिन मोहिन्द्रा के साथ मिलकर इस कार्य को संपादित किया है।

(ज) एसटीएफ द्वारा इस आपराधिक प्रकरण में इन सभी अभ्यर्थियों को तथा इनके मध्यस्थों को भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि उपरोक्त कार्य इनके द्वारा/माध्यम से किया गया है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है जिसके कारण से इन 12 अभ्यर्थियों का व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के अध्याय–3 के नियम क्रमांक– 3.9 के तहत इन प्रकरणों को यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य करते हुये उनके **परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त** किये जाते है।

संचालक
व्यापम, भोपाल

पृ0क्रमांक/व्यापम/5–प–1/28/ /2015 भोपाल,दिनांक : फरवरी 2015

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. पीआरओ, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक
व्यापम, भोपाल